tan for employment has been brought to our notice.

(b) Does not arise.

Raid in the Premises of persons connected with Punjab National Bank

*641. { **Shri Hari Vishnu Kamath:** **Shri S. M. Banerjee**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the C.B.I. recently raided the premises of certain persons connected with the Punjab National Bank Limited;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the places where raids were conducted; and

(d) the results yielded by the raids?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) Complaints were received alleging that in connection with the Purchase of Rajasthan and U.P. Zamindari Bonds and other Government securities on behalf of the Punjab National Bank during the period from 1958 to 1960, prices higher than those at which the securities were then available in the market were paid and that the extra amount was shared between the brokers and some officers of the Bank.

(c) Delhi, Bombay, Calcutta, Jaipur, Jodhpur and Lucknow.

(d) The records collected are under scrutiny.

Fencing of Assam-East Pakistan Border

*642. **Shri Jashvant Mehta:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Assam Government has proposed to the Central Government the fencing of the Assam-East Pakistan border; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The proposal which was initiated by the Central Government is under consideration.

National Anthem

*643. **Shrimati Akkamma Devi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a general tendency all over the country that the cinema goers do not stand up when the National Anthem is played at the end of the shows; and

(b) if so, the measures, educational and others, Government have chalked out to ensure that such disrespectful tendencies are put to a stop for the healthy growth of discipline among the rising generation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri I. N. Mishra): (a) Reports that some members of the audience do not, at times, stand up when the National Anthem is played in cinema houses have been received.

(b) The State Governments have been requested to take suitable steps to educate the public in this regard, *inter alia* by seeking the co-operation of the Press, and the cinema owners who display suitable slides requesting the audience to stand up when the Anthem is played. A documentary showing how the audience should conduct themselves when the Anthem is played, is also under production.

वीर सावरकर

*644. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री बड़े :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर

दिलाया गया है जिसमें वीर सावरकर की हालत चिन्ताजनक बताई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने तथा उन्हें वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी सम्पत्ति जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, वापस लौटा दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) गृह मंत्री जी के विवेकानदान में से 900 रु० की राशि श्री सावरकर को उनकी चिकित्सा पर खर्च करने के लिये स्वीकृत की गई है।

(ग) और (घ). 7 अप्रैल, 1965 को श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के (ख) भाग के उत्तर में दिये गए आश्वासन की पूर्ति में छः सितम्बर 1965 को सदन के सभा-पटल पर रखे गए एक विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनक्रम

*654. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या शिक्षा मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़े हुए वेतनक्रमों के प्रसंग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार, विज्ञान, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी तथा इंजीनियरी शिक्षा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने तथा शिक्षा स्तर में सुधार करने के बारे में तैयार किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने की दिशा में एक प्रमुख कार्रवाई के रूप में, आयोग की राय है कि अध्यापकों, विशेषरूप से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान काफी मात्रा में बढ़ाना आवश्यक है। समान योग्यता वाले अध्यापकों के वेतनमानों में, चाहे वे कालेजों में काम करते हों या विश्वविद्यालयों के विभागों में, समुचित समानता होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इंजीनियरी और टेक्नोलाजी संस्थाओं विभागों समेत विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशों पर आयोग ने विचार किया है। विश्वविद्यालयों और भारतीय टेक्नोलाजी संस्थाओं के वेतनमानों के बीच समानता स्थापित करने के बारे में यद्यपि आयोग ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, किन्तु अयोग ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान चौथी आयोजना के आरंभ से संशोधित किए जाएं और संशोधित वेतनमान निम्नांकित हों (ये वेतनमान भारतीय टेक्नालाजी संस्थानों के लिए निर्धारित वेतनमानों के समान हैं) :—

	रुपये
प्रोफेसर	1100—1600
रीडर	700—1250
प्राध्यापक	400—950

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में, आयोग ने पहले ही निश्चय किया है कि तकनीकी संकायों समेत (पालिटेक्निकों के अध्यापकों को छोड़ कर), सभी संकायों के विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के वेतनमान यही होंगे।